भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1143
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटर लगाने की वर्तमान स्थिति

1143. श्री आशीष दुबे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुनर्संरचित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों पर स्मार्ट मीटरिंग का क्या प्रभाव है; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली खपत के संबंध में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना है, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफार्मरों तथा फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की 45 वितरण यूटिलिटी के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, **52.53** लाख वितरण ट्रांसफार्मरों तथा 2.05 लाख फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है। जनवरी, 2026 तक इस स्कीम के अंतर्गत 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा अपनी राज्य स्कीमों/अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इस प्रकार, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देशभर में कुल 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से डिस्कॉमों तथा उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होता है। इससे डिस्कॉमों को अग्रिम राजस्व संग्रह में सुविधा मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप संग्रह दक्षता में सुधार, बकाया देयता में कमी, कम कार्यशील पूंजी आवश्यकता के कारण ब्याज की बचत, डिस्कॉमों के नकदी प्रवाह में वृद्धि आदि लाभ प्राप्त होते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों तथा स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन सहित विभिन्न सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है।

(ग) : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने तथा स्मार्ट मीटरिंग के लाभों के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, वितरण यूटिलिटी, आरडीएसएस के अंतर्गत नामित नोडल एजेंसियों-पीएफसी लिमिटेड एवं आरईसी लिमिटेड तथा एएमआई सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लाभ, हेल्पलाइन नंबर तथा मोबाइल ऐप के उपयोग एवं रियल टाईम में विद्युत खपत, खपत का हिस्टोरिकल विश्लेषण आदि विशेषताओं को दर्शाने वाले पैम्फलेटों का वितरण।

- उपभोक्ताओं की अधिक आवाजाही वाले स्थानों, डिस्कॉम मुख्यालय, मंडल एवं उप-मंडल कार्यालयों में बैनर लगाना।

- लाउडस्पीकर से घोषणा के माध्यम से उपभोक्ता सहभागिता अभियान, स्थानीय भाषा में कहानी-आधारित ऑडियो जिंगल तथा स्मार्ट मीटर संस्थापना के दौरान उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला।

- उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लाभ समझाने एवं भ्रांतियों को दूर करने हेतु जागरूकता कैनोपी का प्रदर्शन।

- सोशल मीडिया सहभागिता एवं जनसंपर्क गतिविधियाँ।

लो.स.अता.प्र.सं.-1143

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य वार अनुसार स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य
(दिनांक 31.01.2026 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)		कुल मीटर	
	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित
अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	22,88,414	2,93,140	85,577	17,358	8,438	59,19,344	23,82,429
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	52,179	10,116	311	688	263	2,98,250	52,753
असम	63,64,798	48,38,045	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	48,98,655
बिहार	23,50,000	19,93,875	2,50,726	1,84,644	6,427	5,799	26,07,153	21,84,318
छत्तीसगढ	59,62,115	33,84,390	2,10,644	70,888	6,720	5,963	61,79,479	34,61,241
दिल्ली	-		766	-	2,755	-	3,521	-
गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	650	7,50,356	650
गुजरात	1,64,87,100	36,75,132	3,00,487	1,36,242	-		1,67,87,587	38,11,374
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	7,67,964	39,012	23,328	1,951	1,650	28,41,908	7,92,942
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	5,57,854	88,037	17,147	2,608	1,445	14,97,690	5,76,446
झारखंड	13,41,306	5,90,010	19,512	936	1,226	842	13,62,044	5,91,788
केरल	1,32,89,361	1,69,263	87,615	217	6,025	2,904	1,33,83,001	1,72,384
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	31,83,005	4,19,396	1,44,110	29,708	25,636	1,34,29,206	33,52,751
महाराष्ट्र	2,35,64,747	85,34,398	4,10,905	2,69,116	29,214	30,790	2,40,04,866	88,34,304
मणिपुर	1,54,400	33,287	11,451	664	357	236	1,66,208	34,187
मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
मिजोरम	2,89,383	27,919	2,300	393	398	295	2,92,081	28,607
नागालैंड	3,17,210	30,571	6,276	845	392	105	3,23,878	31,521
पुदुचेरी	4,03,767	11,747	3,105	7	180	-	4,07,052	11,754
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	-	89,81,414	-
राजस्थान	1,42,74,956	23,76,944	4,34,608	31,015	27,128	25,391	1,47,36,692	24,33,350
सिक्किम	1,44,680	80,767	3,229	1,469	633	471	1,48,542	82,707
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
त्रिपुरा	5,47,489	1,61,835	14,908	6,199	473	473	5,62,870	1,68,507
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	66,92,131	15,26,801	2,66,836	20,874	25,466	2,85,26,731	69,84,433
उत्तराखंड	15,87,870	4,40,201	59,212	8,084	2,602	2,496	16,49,684	4,50,781
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,51,499	3,05,419	51,150	11,874	10,811	2,10,35,262	6,13,460
आरडीएसएस कुल	**19,79,30,131**	**4,04,41,430**	**52,52,692**	**13,56,909**	**2,05,475**	**1,62,749**	**20,33,88,298**	**4,19,61,088**

टिप्पणी: आरडीएसएस के तहत 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आरडीएसएस सहित अलग-अलग स्कीमों के तहत 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।
